रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2013/कार्तिक 15, 1935
No. 53] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2013/KARTIKA 15, 1935

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2013

आ. अ. 59 (अ).–यत:, मिजोरम राज्य में, मिजोरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज अनेक निर्वाचन विवशतापूर्ण परिस्थतियों के कारण प्रवास कर चुके थे तथा वे त्रिपुरा राज्य के विभिन्न पारगमन शिविरों में अपने सामान्य निवास स्थान से दूर अस्थाई रूप से निवास कर रहे है: और

यत:, भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे प्रवासी निर्वाचकों के मताधिकार को ध्यान में रखते हुए निदेश दिया था कि इन प्रवासियों को, उनके अस्थाई प्रवास के बावजूद मिजोरम राज्य में संगत निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में उनके नाम जोड़ने/हटाने के लिए उनके संबंधित निवास स्थानों का सामान्य निवासी ही माना जाता रहेगा जैसाकि 01.01.2013 को अर्हता तिथि मानने के संदर्भ में संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया था।

अत:, अब, भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार के परामर्श से, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय के दिनांक 24 अक्टूबर,2013 के पत्र सं0 एच-11019/10/2013-एल. ।। के संदर्भ में, एतद् द्वारा मिजोरम राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न विधान सभा निर्वाचन खण्डों में दर्ज विभिन्न पारगमन शिविरों में निवास कर रहे हैं, मिजोरम विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन, 2013 में डाक मत-पत्र द्वारा अपना मत देने के लिए अधिसूचित किए गए व्यक्तियों की श्रेणी में अधिसूचित करता है, बशर्ते कि वे उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट अपोक्षाओं को पूरा करते हों।

[सं. 464/मिजोरम-वि.स./2013]
अनुज जयपुरियार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2013

O.N. 59 (E).—Whereas, a number of electors enrolled in Assembly Constituencies in the State of Mizoram had migrated because of compelling circumstances and have been temporarily residing in various transit camps in the State of Tripura outside their place of ordinary residence; and

Whereas, the Election Commission of India, having regard to the right of franchise of such migrant electors, directed that these migrants, despite their temporary migration, shall continue to be treated as ordinarily residents of their respective places, for inclusion/retention of their names in the electoral rolls of the relevant Assembly Constituencies in the State of Mizoram, as summarily revised with reference to 01.01.2013 as the qualifying date;

Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of powers conferred by clause (c) of section 60 of the Representation of the People Act, 1951 and in consultation with the Central Government vide the Ministry of Law and Justice, Legislative Department letter No.H-11019/10/2013-Leg.II dated 24th October, 2013, hereby notifies the aforementioned migrant electors enrolled in different Assembly Constituencies in Mizoram and who are presently residing in various transit camps outside their place of ordinary residence, as the notified class of persons to give their vote by Postal Ballot at the current general election to the Legislative Assembly of Mizoram 2013, subject to the fulfillment of the requirements specified in the rules made under the said Act.

[No. 464/MIZ-LA/2013]

ANUJ JAIPURIAR, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.